KANNAUJ POLICE

दिनाँकः 20 जून 2024 प्रेस नोट-थाना गुरसहायगंज

थाना गुरसहायगंज पर मु0अ0सं0-484/2020 अन्तर्गत धारा-323/504/307 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोग में माननीय न्यायालय कन्नौज द्वारा अभियुक्तगण को धारा-323/504/307 भादवि में दोषी पाते हुये 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 -10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबन्ध में-

(चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण)

सादर अवगत कराना है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी कइमुददीन निवासी समधन थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज के साथ लात, धूसो, डण्डा व चाकू से हमला कर मारपीट करना, जिससे वादी के सिर पर व शरीर पर गम्भीर चोट आने के सम्बन्ध में थाना गुरसहायगंज पर मु0अ0सं0-484/2020 धारा-323/504/307 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था।

कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.06.2024 को माननीय न्यायालय कन्नौज द्वारा अभियुक्तगण 1. सलीम 2. मतीन पुत्रगण हनीफ 3. मजरूल पुत्र इदरीश 4.आरिफ उर्फ कालिया पुत्र अब्दुल हलीम समस्त निवासीगण मोहल्ला हृदयरामपुर कस्बा समधन थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज। प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 - 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।